

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 163

दिनांक:- 19/01/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 01 की एरिया सभा संख्या 01 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद् समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्ति
मी शोषक
नानिष्ठ अमिता
मा ५० समालखा।


सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 164

दिनांक:- १९/१/२०२६

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 02 की एरिया सभा संख्या 02 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे 12:00 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:—

- वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राध्यात्मक
ग्रन्थालय
कानूनिक आमिनता
रा० पा० समालखा।

सचिव
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा ।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 165

दिनांक:- 19/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 03 की एरिया सभा संख्या 03 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

- वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
- विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
- दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा ।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्त
समालखा
कार्यालय
जा.पा. समालखा।

सचिव
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 166

दिनांक:- 19/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 04 की एरिया सभा संख्या 04 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक एरिया सभा बैठक गीता विधा मंदिर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

- 1 वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 2 विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 3 दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- 4 एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्ति
अधिकारी
कार्यालय आयोजना
ठाठ फॉर्म राजालखा।

सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 167

दिनांक:- 19/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 05 की एरिया सभा संख्या 05 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को दोपहर 03:30 बजे 04:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

- वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राधिक
मीटिंग
कार्यालय
ज्ञा पा समालखा।



नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 168

दिनांक:- 19/01/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 06 की एरिया सभा संख्या 06 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को प्रातः 09:00 बजे 10:30 बजे तक एरिया सभा बैठक कार्यालय नगर परिषद समालखा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राध्यात्मक
महाप्रबन्ध
लानेस्ट आगेपत्ता
नं. ५२ समालखा।


सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 4745 169

दिनांक:- 10.01.2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 07 की एरिया सभा संख्या 07 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे 12:00 बजे तक एरिया सभा बैठक कार्यालय नगर परिषद समालखा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:—

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

पृष्ठत
गीर्जा
निवास
कार्यालय

सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:— 170

दिनांक:— 19/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 08 की एरिया सभा संख्या 08 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को दोपहर 12:30 बजे 01:30 बजे तक एरिया सभा बैठक कार्यालय नगर परिषद समालखा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10^{वां} प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:—

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

प्रैषित
मी गोखरा
कानिष्ठ अग्रिमता
०१८ ५० समालखा

सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:— 171

दिनांक:— 17/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 09 की एरिया सभा संख्या 09 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को दोपहर 02:00 बजे 03:00 बजे तक एरिया सभा बैठक कार्यालय नगर परिषद समालखा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:—

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्ति
मी ऑफिस
कानिस्टर आर्म्स
रा० ५० समालखा

सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 172

दिनांक:- 19/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 10 की एरिया सभा संख्या 10 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

मैथि
एरिया सभा
समालखा।
ज्ञापन एजेण्डा

सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा ।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 173

दिनांक:- १९/१/२०२६

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 11 की एरिया सभा संख्या 11 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद् समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

- वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
- विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
- दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा ।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्त

श्री अपन अग्रवाल
लेखालय
ज्ञा ५० समालखा



सचिव,

नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- १७५

दिनांक:- १९/१/२०२६

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 12 की एरिया सभा संख्या 12 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राधिक
श्री अमर यादव
लक्ष्मी लाड
मा० १० समालखा

सचिव
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- १८५

दिनांक:- १९/१/२०२६

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 13 की एरिया सभा संख्या 13 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्त
ग्रीष्म अन्य अमर
लैखा।
पा० ५० समालखा।


सचिव,
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा ।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:— 176

दिनांक:— 19/11/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 14 की एरिया सभा संख्या 14 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को दोपहर 03:30 बजे से 04:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:—

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा ।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

मुख्य
मी भगव
लैखालार
१० प० समालखा

सचिव,
नगर परिषद, समालखा ।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा ।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतू नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- १७७

दिनांक:- १९/१/२०२६

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 15 की एरिया सभा संख्या 14 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद् समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन ।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा ।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

मुख्यमन्त्री
सी. अमर लक्ष्मा
लक्ष्मा
राज परिषद, समालखा।

सचिव
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 178

दिनांक:- 19/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 16 की एरिया सभा संख्या 16 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्त

श्री अपन्न लगार
लगार
पर्सनल रामलखा



सचिव
नगर परिषद, समालखा।

कार्यालय नगर परिषद, समालखा।

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

क्रमांक:- 179

दिनांक:- 19/1/2026

नगर परिषद समालखा के वार्ड नं. 17 की एरिया सभा संख्या 17 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीधारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 22.01.2026 को दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक एरिया सभा बैठक नगर परिषद समालखा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पैशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
3. दीप दयाल लाडों लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

अतः इस ऐरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृप्या निश्चित तिथि, स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

प्राप्ति
श्री अमरे बुमा
लोटवाला
पर्सनल एजेंसी

संधिक
नगर परिषद, समालखा।